

राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति

भारत सरकार एक **राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति** शुरू करने के लिये तैयार है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के विकास और नरियात को बढ़ावा देने के लिये अनुकूल वातावरण बनाना है।

- ई-कॉमर्स नीति पहली बार वर्ष 2018 में प्रस्तावित की गई थी और **वर्ष 2019 में ई-कॉमर्स नीति का मसौदा जारी किया गया था।**
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)**, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक सुव्यवस्थित नियामक ढाँचे, तकनीकी प्रगति तथा कुशल आपूर्ति शृंखला एकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

आगामी ई-कॉमर्स नीति के बारे में प्रमुख बड़ि:

- उद्देश्य:**
 - राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति का उद्देश्य एक नियामक ढाँचा स्थापित करना है जो इस क्षेत्र में **व्यापार करने में आसानी** प्रदान करता हो।
- नरियात को बढ़ावा देना:**
 - यह नीति भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण नरियात क्षमता को बढ़ावा देगी।
 - वर्ष 2030 तक भारत की ई-कॉमर्स नरियात क्षमता सालाना **200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के बीच होने का अनुमान है।
 - वैश्विक क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स नरियात वर्ष 2025 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है, भारत का लक्ष्य इस विकास अवसर को अपने पक्ष में करना है।
- नियामक निकाय और FDI:**
 - ई-कॉमर्स क्षेत्र हेतु नियामक स्थापित करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, हालाँकि इसके क्रियान्वयन में समय लग सकता है।
 - स्थानीय व्यापारियों के संघ ई-कॉमर्स नियमों** को लागू करने और उल्लंघनों को रोकने हेतु सशक्त नियामक निकाय की मांग करते रहे हैं।
 - जबकि मार्केटप्लेस मॉडल में 100% **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI)** की अनुमति है, इन्वेंटरी-आधारित मॉडल में FDI की अनुमति नहीं है।
- व्यापारियों की चिंताओं को उजागर करना:**
 - व्यापारियों ने ई-कॉमर्स के नियमों के उल्लंघन, जैसे- **भारी छूट और चुनदा विक्रेताओं को वरीयता दिये जाने को लेकर चिंता जताई है।**
 - नीति का उद्देश्य इन मुद्दों को स्पष्ट करना और ई-कॉमर्स में FDI को नरितरित करने वाले नियमों में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है।
 - उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020** और प्रस्तावित संशोधनों को नरितरता के लिये ई-कॉमर्स नीति के साथ जोड़ा जाएगा।
- व्यापक ढाँचा:**
 - ई-कॉमर्स नीति इस क्षेत्र के लिये एक व्यापक ढाँचे के रूप में काम करेगी, जो विभिन्न शासकीय कार्यों के बीच सुसंगतता सुनिश्चित करेगी।
 - यह क्षेत्र FDI नीति, **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019**, **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000** और **प्रतिसिपर्द्धा अधिनियम, 2002** द्वारा शासित है।
 - नीति का उद्देश्य इन विनियमों को सुव्यवस्थित करना और ई-कॉमर्स उद्योग के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाना है।

भारत सरकार की ई-कॉमर्स संबंधित अन्य पहलें:

- भारतनेट परियोजना का शुभारंभ:**
 - प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई-कॉमर्स की पहुँच बढ़ेगी।
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):**
 - इस नेटवर्क का उद्देश्य **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)** को डिजिटल कॉमर्स में व्यापक स्तर पर बढ़ने और ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करने के लिये समान अवसर प्रदान करना है।
- डिजिटल इंडिया पहल:**
 - डिजिटल इंडिया पहल** ने **स्टार्ट-अप इंडिया** और **आतमानरिभर भारत** सहित सरकार के नेतृत्व वाली अन्य पहलों को सुदृढ़ गति प्रदान की है जिनकी वैश्विक सफलताओं में परिवर्तित होने की अपार संभावनाएँ हैं।

स्रोत: फाइनेंसियल एक्सप्रेस

